1. संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

- **संगठन का ढाँचा :–**

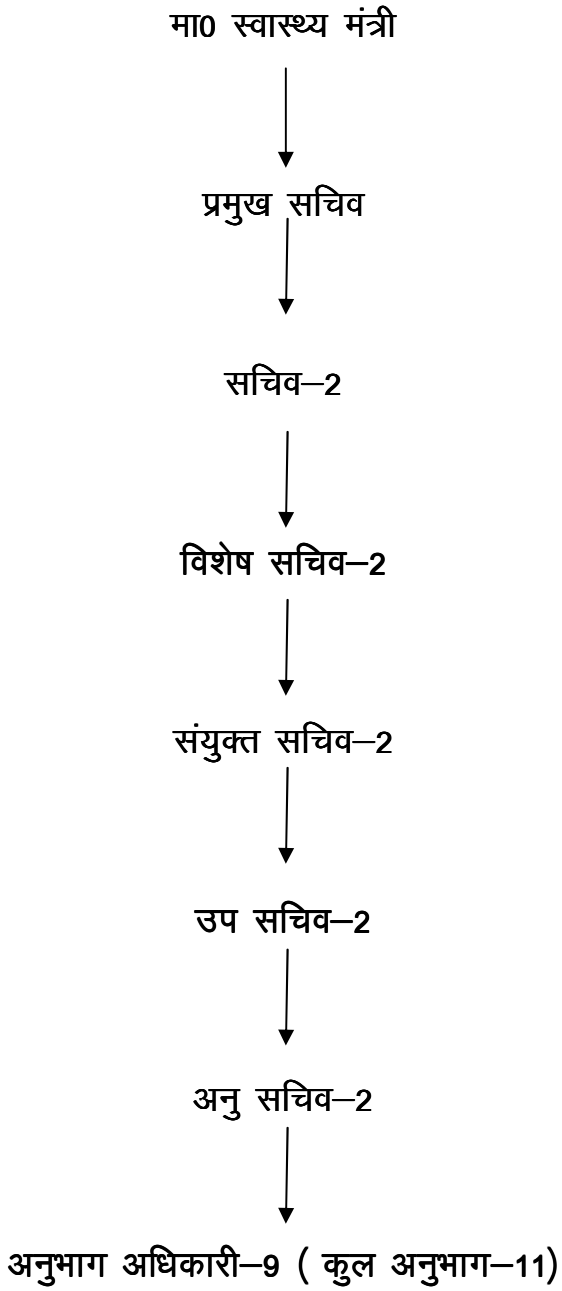

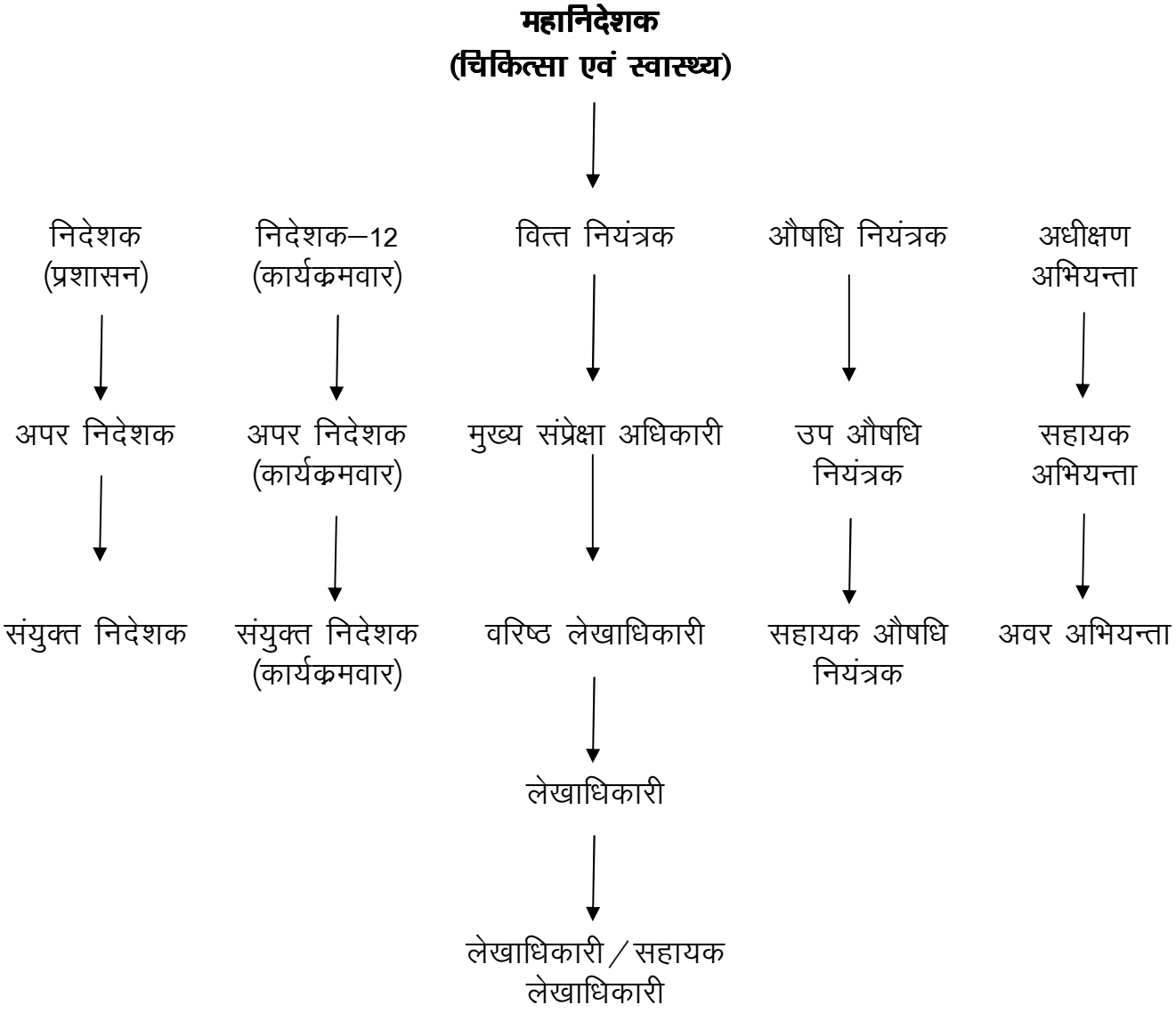

महानिदेशक
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

निदेशक (प्रशासन)	निदेशक–12 (कार्यक्रमवार)	वित्त नियंत्रक	औषधि नियंत्रक	अधीक्षण अभियन्ता
अपर निदेशक	अपर निदेशक (कार्यक्रमवार)	मुख्य संप्रेक्षा अधिकारी	उप औषधि नियंत्रक	सहायक अभियन्ता
संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक (कार्यक्रमवार)	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सहायक औषधि नियंत्रक	अवर अभियन्ता
		लेखाधिकारी		
		लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी		

महानिदेशक
(परिवार कल्याण)

निदेशक (परिवार कल्याण)	निदेशक (एम0सी0एच0)	उपनिदेशक (प्रशासन)	वित्त अधिकारी
अपर निदेशक–3	अपर निदेशक–2		
संयुक्त निदेशक–6	संयुक्त निदेशक–4		

<u>मण्डलीय अपर निदेशक</u>

अपर निदेशक

संयुक्त निदेशक

प्रशासनिक संगठन (जनपद स्तरीय)

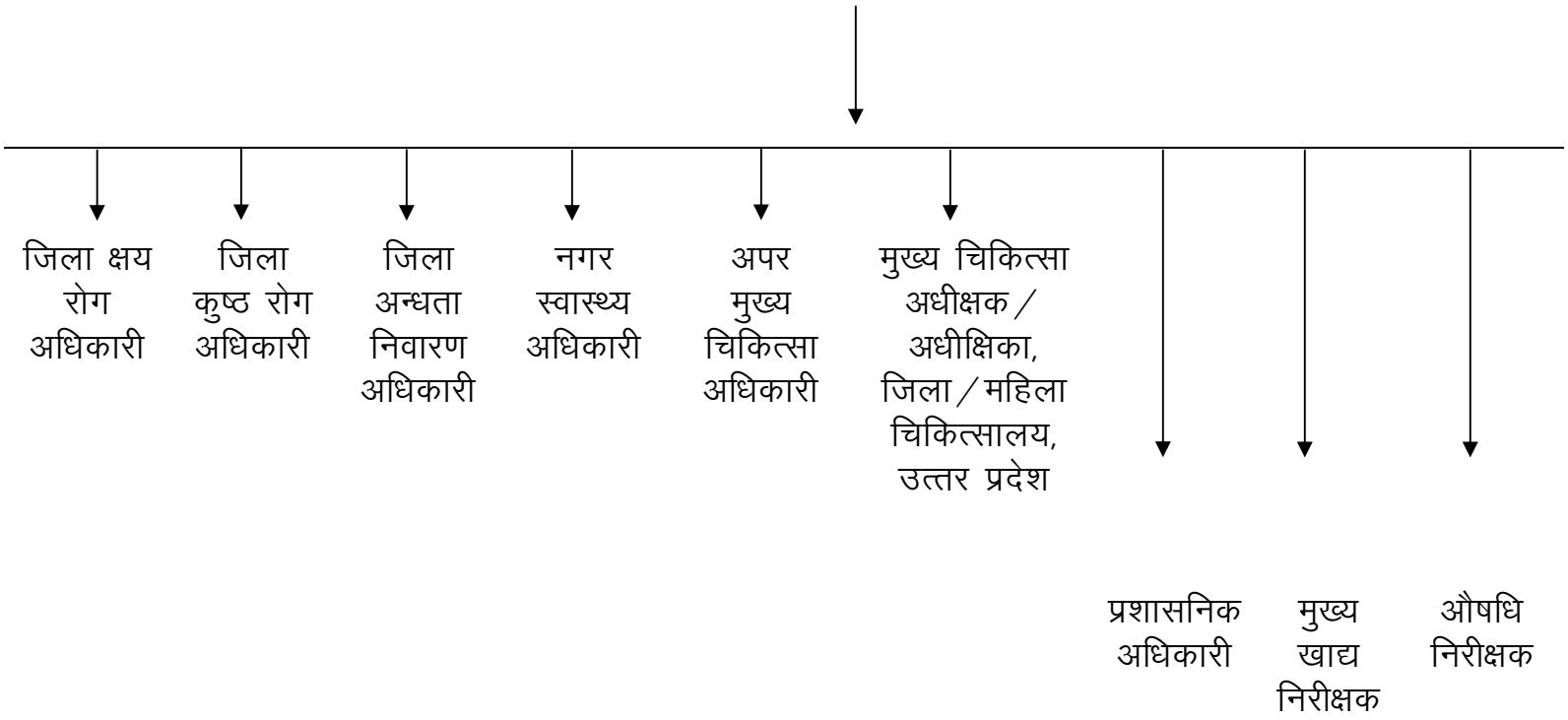

चिकित्सकीय संगठन

जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय	78+57
↓	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	515
↓	
विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	806
↓	
अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र	2884
↓	
ग्रामीण पी0पी0 सेण्टर	147
↓	
उपकेन्द्र	20521

❖ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत शासन स्तर पर कुल 11 अनुभाग गठित हैं, जिन्हें आवंटित कार्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

चिकित्सा अनुभाग–1

जिला मुख्यालय स्तर के समस्त चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण, एम्बुलेन्स सेवायें एवं शैय्या वृद्धि, उपकरणों एवं साज–सज्जा की व्यवस्था, शव ग्रहों का निर्माण, रक्त कोषों की स्थापना, आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण, औषधि क्रय नीति का निर्धारण, जिला एवं मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों के शुल्कों का निर्धारण।

चिकित्सा अनुभाग–2

पी0एम0एच0एस0 सीनियर स्केल (लेवल–4 से लेवेल–6) तथा उसके ऊपर के अधिकारियों का समस्त कार्य, स्वास्थ्य निदेशालय से संबंधित कार्य (लिपिक संवर्ग को छोड़कर) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से संबंधित पदों का सृजन निरन्तरता एवं स्थायीकरण।

चिकित्सा अनुभाग–3

पी0एम0एच0एस0(पुरूष) साधारण ग्रेड अधिकारियों का अधिष्ठान संबंधी कार्य, दन्त शल्यकों से संबंधित कार्य, उत्तरांचल राज्य से संबंधित कार्य तथा हज कमेटी से संबंधित कार्य।

चिकित्सा अनुभाग–4

राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन से संबंधित कार्य, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा जनपद स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिष्ठान का कार्य।

चिकित्सा अनुभाग–5

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आयोजनेत्तर आय–व्ययक तथा बजट साहित्य, वित्त आयोग से संबंधित मामलों, बजट भाषण से संबंधित कार्य। प्राथमिक/स्वास्थ्य केन्द्रों में वित्तीय गबन एवं लूटपाट की जांच से संबंधित प्रकरणों की जांच।

चिकित्सा अनुभाग–6

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित समस्त कार्य, चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित समस्त कार्य। स्टेट मेडिकल फैकेल्टी/काउंसिल/ मेडिकल एक्ट से संबंधित कार्य। सिविल सेवा के इंजीनियर से संबंधित समस्त कार्य, प्रयोगशाला सहायक से संबंधित समस्त कार्य।

चिकित्सा अनुभाग–7

फार्मेसिस्ट, लैब टेक्निशियन नेत्र सहायक, एक्स–रे–टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक, डेन्टल हाईजिनिस्ट, फिजियोथैरेपिस्ट, आप्टोमेट्रिस्ट, आकुपेशनल फिजियोथैरेपिस्ट, ई0सी0सी0/ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, नान मेडिकल असिस्टेन्ट, नान मेडिकल सुपरवाईजर, अन्वेषक कम संगणक, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन/टीम लीडर , टी0बी0 स्वास्थ्य परिदर्शक के अधिष्ठान से संबंधित कार्य, जिला क्षय केन्द्रों, मानसिक चिकित्सालय, कुष्ठ ईकाईयों की स्थापना, नेत्र वार्ड/ओ0टी0 वार्ड की स्थापना से संबंधित कार्य, राष्ट्रीय अन्धता निवारण, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण, राष्ट्रीय कैन्सर नियंत्रण एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित समस्त कार्य, स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान से संबंधित कार्य, जन्म–मृत्यु पंजीयन से संबंधित कार्य।

चिकित्सा अनुभाग–8

मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक का अधिष्ठान कार्य, प्रान्तीकृत मेलों में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थायें, महामारी दैवीय आपदा संक्रामक रोग संबंधित कार्य, औषधि नियंत्रक/वरिष्ठ औषधि निरीक्षक/ औषधि निरीक्षकों का अधिष्ठान कार्य, मलेरिया/फाईलेरिया/चेचक/पैरामेडिकल असिस्टेन्ट से संबंधित कार्य, स्टेट वैक्सीन, जन्म मृत्यु विवाह संबंधी तथा नर्सिंग सहायक का अधिष्ठान कार्य, राज्य स्वास्थ्य संस्थान तथा जन विश्लेषक प्रयोगशाला का अधिष्ठान कार्य।

चिकित्सा अनुभाग–9

नैशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, परिवार कल्याण महानिदेशालय का अधिष्ठान कार्य, स्वास्थ्य मेलों का आयोजन, पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां, निष्प्रयोजय वाहनों से संबंधित कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य योजना/ स्वास्थ्य सखी योजना, फर्जी नसबन्दी से संबन्धित मामले, दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले राज्य कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन संबंधी परामर्श का कार्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान, परिवार कल्याण विभाग का बजट कार्य, स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण संबंधी कार्य, टीकाकरण कार्यक्रम, लाजिस्टिक इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम, जन स्वास्थ्य रक्षक से संबंधी कार्य।

चिकित्सा अनुभाग–10

भारत जनसंख्या–परियोजना प्रथम से संबंधित समस्त कार्य, जनसंख्या केन्द्र के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य, मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट प्रशिक्षण, परियोजना से संबंधित समस्त बजट, लेखा एवं लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य, परियोजना से सम्बन्धित खर्च का भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति से संबंधित कार्य, परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं भवन निर्माण कार्यों की मानीटरिंग, दाईयों से संबंधित कार्य, षष्टम् भारत जनसंख्या परियोजना से संबंधित समस्त कार्य, परिवार कल्याण विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों, उप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य सहायक, पुरूष सामाजिक कार्यकर्ता से सम्बन्धित समस्त कार्य, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी से संबंधित समस्त कार्य, कम्यूनिकेशन आफिसर से संबंधित समस्त कार्य, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरानगर, लखनऊ के

कर्मचारियों से संबंधित अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य, वैक्सीनेटर संवर्ग के कर्मचारियों का अधिष्ठान सम्बन्धी एवं अन्य समस्त कार्य, मातृ एवं शिशु कल्याण योजना के समस्त कार्य, बेसिक हेल्थ वर्कर, महिला, ए0एन0एम0, स्वास्थ्य निरीक्षिका, पी0एच0एन0/ट्यूटरी से संबंधित कार्य, यूनिसेफ एडेड प्रोजेक्टस/ स्कीम्स, जनसंख्या नीति एवं उसके क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम।

चिकित्सा अनुभाग–11

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (महिला संवर्ग) के चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान का समस्त कार्य, नर्सिंग संवर्ग से संबंधित समस्त कार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता।

:– स्वास्थ्य महानिदेशालय :–

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी से महानिदेशक, स्तर के अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य सम्पादित किया जाता हैं। जिसके नियुक्ति प्राधिकारी शासन हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश की जनता को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है, एवं उनके संचालन हेतु चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाती है। वर्तमान समय में प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों (पुरूष एवं महिला) के कुल 11391 पद एवं फार्मेसिस्ट–5199, चीफ फार्मेसिस्ट–1363, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी–82, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी–1, संयुक्त निदेशक फार्मेसी–1, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ–2038, वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ–170, एक्सरे टेक्नीशियन–633, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन–50, डार्करूम सहायक–193, फिजियाथिरेपिस्ट–30 आकूपेशनल थेरेपिस्ट–19, प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य–1986, स्टाफ नर्स–4528, सिस्टर इन्चार्ज/वार्ड मास्टर–1173, मात्रिका–140, ओ0टी0एस0 सुपरवाइजर–53 एवं वरिष्ठ मात्रिका के 9 पद सृजित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदे'शालय के मुख्यालय में स्वीकृत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति/प्रोन्नति से संबंधित अधिष्ठान का कार्य संपादित किया जाता है। वर्तमान में महानिदेशालय में तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्ग के **274 पद**, आशुलिपिक संवर्ग के कुल **37 पद**, संप्रेक्षा संवर्ग के **20 पद** एवं चतुर्थ श्रेणी के **105** (चतुर्थ श्रेणी–86 पद, कुर्सी बुनकर–**02 पद,** सुरक्षा गार्ड–**05 पद**, बण्डल लिफ्टर–**08,** दफ्तरी–**04** सम्मिलित हैं)। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारी के **04 पद** स्वास्थ्य महानिदेशालय के भवन को सफाई हेतु स्वीकृत हैं।

HEALTH INFRASTUCTURE IN U.P.

Urban Area		Rural Areas	
Type of Facility	**Number(position as on 21-11-2008)**	**Type of Facility**	**Number (position as on 2008)**
Super Specialty Institute	3	C.H.Cs.	515
Medical Colleges	7-Govt 2-Central Govt 3-Private	BPHCs	806

District Male/Female Hospitals	78 +57	Additional PHCs	2884
		Rural PPCs	147
Urban F w Bureaus	5	Sub Centers	20521
Urban Fw Centers	61		
Health Post	245		
District Level PPCs	63		

The proposed target for the Eleventh Five Year Plan are follows:

Sr.	Index	Unit	Present Position	Proposed Targets by U.P. Govt.
1	I.M.R (S.R.S). -2004	Per 1000 birth	72	35
2	M.M.R. (2001-03 RHIME)	Per 100000 live births	517	100
3	Total fertility rate (SRS 2004)	Per Productive Couple	3.8	2.2
4	Malnutrition, (0-3 Years) Children (N.F.H.S.1998-99)	According to age wt. less than 2 S.D.	51.7	20
5	Anemia in Mothers (15-49 year) (NFHS1998-99)	Percentage	48.7	20
6	Sex Ratio (0-6 year) (Census-2001)	Pre 1000 Pop.	916	924

प्रदेश मे निम्न राष्ट्रीय कार्यक्रम इस विभाग द्वारा संचालित होते हैं :–

क्षय रोगः–

प्रदेश में क्षय रोग के नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में सम्भावित क्षय रोगियों का उपचार डॉट्स प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित क्षय रोगियों का पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 70 प्रतिशत नये बलगम धनात्मक क्षय रोगियों की खोज तथा उसकी निरन्तरता बनाये रखना एवं नये बलगम धनात्मक रोगियों को 85 प्रतिशत रोगमुक्त तथा उसकी निरन्तरता बनाये रखना है। पाँच लाख की आबादी पर एक टी.बी. यूनिट स्थापित है। एक लाख की आबादी पर सम्भावित क्षय रोगियों की जांच एवं उपचार हेतु एक माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित हैं। क्षय रोगियों के उनके निवास के अति निकट औषधियाँ खिलाये जाने के उद्देश्य से 5–10 हजार की आबादी पर एक–एक डॉट्स केन्द्र स्थापित हैं, जहाँ पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय निरोधी औषधियां सप्ताह में तीन दिन खिलाई जाती हैं। कार्यक्रम से आच्छादित टी.बी. यूनिटों की संख्या 352, माइक्रोस्कोपी केन्द्रों की संख्या 1597

तथा डॉट्स केन्द्रों की 18567 है। क्षय निरोधी औषधियों को समस्त जनपदों तक शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में मण्डलीय अपर निदेशकों के अधीन 4 ड्रग स्टोर (बरेली, आगरा, लखनऊ तथा वाराणसी) स्थापित हैं। कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु ई.क्यू.ए. तथा ड्रग रजिस्टेन्ट सर्वे हेतु प्रदेश में दो आई.आर.एल. लैब (एस.टी.डी.सी. आगरा एवं मेडिकल कालेज लखनऊ) की स्थापना की गयी है।

अंधता निवारण सेवाएँ:–

- **नेत्र रोगियो की संख्या मे कमी लाना :–**

नेत्र रोगियो मे कमी लाने हेतु राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर मोतिया बिन्दु आपरेशन की साधारण एवं आई0ओ0एल0 विधि द्वारा शल्य क्रिया करना। 08 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चो के नेत्री की जॉच एवं निशुल्क चश्मा वितरण करना, नेत्र बैंक की स्थापना एवं कार्निया प्रत्यारोपण की प्रोत्साहन एवं जनता में नेत्रदान की जागरूकता पैदा करना।

ऐसे विकास खण्ड जिसमे नेत्र रोग की व्यापकता दर 2 प्रतिशत 10,000 जनसंख्या से अधिक हो वहॉ विशेष अभियान घर–घर सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा नेत्र रोगियो को खोजकर नियमित उपचार प्रदान करके व्यापकता दर मे कमी लानी है।

सूचना शिक्षा एवं संचार–नेत्र रोग के बारे मे जन–जागरूकता लाने हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत स्कूल कॉलेजो मे निबंधक एवं वाद विवाद, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। अधिक व्यापकता वाले स्वास्थ्य केन्द्रो मे विशेष रूप से होर्डिग एवं डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से परस्पर प्रचार किया जायेगा।

विकलॉग पर नियंत्रण एवं चिकित्सा पुर्नवास–अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है।

मूल्याकन एव अनुश्रवण–

नेत्र निवारण सेवाओं में प्रभावी मूल्यांकन एव मार्ग दर्शन हेतु जिला नेत्र नामिको को कम्प्यूटर एवं इण्टर नेत्र की सुविधा प्रदान की गई है परन्तु प्रत्येक जनपद पर वाहनों के क्रियाशील रखने हेतु वाहन अनुरक्षण एवं पेट्रोल क्रय मद में सहायता प्रदान की जायेगी।

अंधता नियंन्त्रण सेवा मे निरन्तरता–अंधता नियंत्रण कार्य के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 2007–08 मे विद्यमान निरन्तरता सेवाओ को बनाए रखा जायेगा।

गैर सरकारी संस्थाओ का सहयोग–भारत सरकार के निर्धारित दिशा–निर्देश पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओ की सहायता प्रदान कर उनका सहायोग प्राप्त करना।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश :–

11वीं पंच वर्षीय योजनाकाल में कुष्ठ रोग का निवारण अर्थात 01 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या के स्तर जनपद एवं विकास खण्ड स्तर प्राप्त करने तथा विकलांग रोगियों के यथा संभव चिकित्सकीय पुर्नवास के उद्देष्य से प्रदेश में कार्यक्रम संचालित है।

कुष्ठ निवारण सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, तथा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के बैच में प्रशिक्षित किया जाना। जिससे वे कुष्ठ रोग की जटिलताओं का जॉच एवं उपचार हेतु पूर्णतया सक्षम हों।

कुष्ठ रोगियों की संख्या में कमी लाना कुष्ठ रोग के इपीडिमियालोजिकल स्टेट्स का राज्य स्तर पर जनपद स्तर से विकास खण्ड स्तर तक निरन्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा अधिक व्यापकता दर वाले क्षेत्र में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर में कमी लाने हेतु विशेष रूप से प्रयास किये जायेंगे। ऐसे विकास खण्ड जिनमें कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 2 प्रति 10ए000 जनसंख्या से अधिक वहॉ विशेष अभियान चलाकर घर–घर सर्वेक्षण एवं परीक्षण द्वारा कुष्ठ रेागी खोजकर नियमित उपचार प्रदान करके व्यापकता दर में कमी लायी जायेगी। सूचना शिक्षा एवं संचार कुष्ठ रोग के बारे में जन जागरूकता लाने हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार के अन्तर्गत स्कूल कॉलेजों में निबंध एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर रैली का आयोजन, विकास खण्ड स्तर पर गणमान्य नागरिकों की कार्यशाला, गैर सरकारी संस्थाओं के संस्थापकों की कार्यशाला, स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अधिक व्यापकता दर वाले विकास खण्डों में विशेषकर लोक गीत, लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम, कठपुतली प्रदर्शन एवं जादू प्रदर्शन द्वारा कुष्ठ रोग का प्रचार–प्रसार किया जायेगा। साथ ही अधिक व्यापकता दर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष रूप से होर्डिग्स एवं डिसप्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। संचार माध्यमों के उपयोग द्वारा कुष्ठ रोग के बारे में प्रचार प्रसार कर जनता को इस स्तर तक जागरूक करना, जिससे कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छा से जॉच एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपस्थित हो।

विकलांगता पर नियंत्रण एवं चिकित्सा पुर्नवास–

कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा पुर्नवास हेतु प्रत्येक वर्ष प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में स्थापित चिकित्सा पुर्नवास केन्द्रों एवं गैर सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा पुर्नवास केन्द्र लेप्रोसी मिशन हास्पिटल एण्ड होम नैनी, इलाहाबाद तथा मसोधा, फैजाबाद, केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, ताजगंज, आगरा तथ बी0सी0एम0 हास्पिटल, खैराबाद, सीतापुर में भेजकर विकलांग व्यक्तियों का चिकित्सा पुर्नवास कर जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाया जायेगा।

मूल्यॉकन एवं अनुश्रवण– कुष्ठ निवारण सेवाओं के प्रभावी मूल्यॉकन, अनुश्रवण एवं मार्ग दर्शन हेतु प्रदेश की जिला कुष्ठ नाभिकों को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा प्रत्येक जनपद पर कम से कम दो वाहनों के क्रियाशील रखने हेतु वाहन अनुरक्षण एवं पेट्रोल क्रय मद में सहायता प्रदान की जायेगी।

कुष्ठ निवारण सेवाओं की निरन्तरता कुष्ठ निवारण कार्य के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 2007–08 में विद्यमान संविदाधीन सेवाओं को बनाये रखा जायेगा। भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देश पर कार्यरत गैर सरकारी कुष्ठ संस्थाओं को सहायता प्रदान कर उनका सहयोग प्राप्त करना।

प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार की शत–प्रतिशत पुरोनिधानित योजना के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित है।

वेक्टर जनित रोग व राष्ट्रीय मलेरिया उनमूलन कार्यक्रम–

प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम एक विशालतम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।

इन पांच वेक्टर जनित रोगों में से तीन परजीवी के कारण (मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार) तथा शेष दो रोग वाइरस के कारण होते हैं ।

मनुष्य में मलेरिया परजीवी का भार प्रदेश के सभी स्थानों में पाया जाता है, परन्तु अन्तर्राज्यीय सीमा के कुछ जनपद अधिक संवेदनशील हैं। "फाइलेरिया रोग का परजीवी प्रदेश के पूर्वी भाग के 50 जनपदों में पाया जाता है जिनमें से 28 जनपदों में फाइलेरिया नियन्त्रण इकाइयाँ तथा नगरीय मलेरिया के तीन अन्य जनपद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में क्रमशः ग्रामीण अनुसंधान सह प्रशिक्षण इकाई, फाइलेरिया क्लीनिक कार्यरत हैं । जापानीज इन्सेफैलाइटिस रोग प्रदश के पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ आदि मण्डल के जनपदों में तथा डेंगू रोग प्रदेश के घनी आबादी वाले नगरों विशेषकर दिल्ली एवं हरियाणा प्रान्त सीमावर्ती जनपदों में होता है।" कार्यक्रम के अर्न्तगत मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज इन्सेफैलाइटिस, डेंगू, चिकुनगुन्या मच्छरों से तथा कालाजार बालू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों से बचाव एवं नियन्त्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है ।

रणनीति :–

- ✓ वाहक पर नियन्त्रण
- ✓ मच्छर के लार्वा पर नियन्त्रण तथा सेनिटरी इन्जीनियरिंग ।
- ✓ वयस्क मच्छरों के नियन्त्रण हेतु कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग ।
- ✓ मनुष्य–मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय ।
- ✓ सर्वेक्षण
- ✓ निदान एवं उपचार
- ✓ स्वास्थ्य शिक्षा (Behaviour Change Communication/ IEC)
- ✓ प्रशिक्षण (Training/ Capacity Building)

निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम

➢ **कार्य एवं दायित्व :**

- राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे लेप्रोसी ऐलीमिनेशन प्रोग्राम से संबंधित कार्य।
- नेशनल ब्लाइण्डनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम से संबंधित कार्य।
- पुनरीक्षित राष्ट्रीय टयूबरकुलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम से संबंधित कार्य। (उपरोक्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट व मूल्यांकन का कार्य करेगें प्रदेश में उक्त कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें)
- कुष्ठ, नेत्र उपचार, क्षय अनुभाग के अनुभागों का नियंत्रण व संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित अराजपत्रित मानव संसाधन का अधिष्ठान कार्य।
- विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्न व आश्वासन के संबंधित कार्य तथा मा0 न्यायालयों व न्यायाधिकरणों से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ के संबंध में कार्य।
- निदेशक द्वारा इन कार्यक्रमो से सम्बन्धित योजना, सृजन, वित्तीय प्राविधान का कार्य किया जायेगा। कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश हेतु योजना बनाकर कियान्वित करायी जायेगी। समय–समय पर आशानुकूल प्रगति न होने एवं कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु प्रदेश में दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे।
- महानिदेशक द्वारा आर्वटित अन्य कार्य।

निदेशक नियोजन एवं बजट

➢ **कार्य एवं दायित्व :**

- प्लान, प्लान–बजट, नॉन प्लान बजट व लेखा–अनुभाग से संबंधति समस्त कार्यो का संचालन, समन्वय व नियंत्रण का कार्य।
- समस्त प्रदेश स्टेट सेक्टर केन्द्रीय योजनायें व जिला स्तर की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वार्षिक निर्देशों को निर्गत करेंगे।
- प्रदेश की परिधिगत योजनाओं की संकलित रिपोर्ट व प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करायेगे।
- मुख्यालय पर विभाग की विभिन्न योजनाओं व परिव्यय के अनुरूप वित्तीय प्राविधान करायेगे।
- माहवार विभिन्न लेखाशीर्षको में होने वाले व्यय विवरण का अनुश्रवण करेंगे। व्यय विवरण, वित्त नियंत्रक के माध्यम से संकलित कर महानिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्टेट सेक्टर, केन्द्रीय योजनाओ तथा जिला सेक्टर की योजनाओं के स्थापना संसाधन विकास हेतु योजना के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।

- विभाग हेतु चिहिन्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के प्रस्ताव का परीक्षण निदेशक (बजट नियोजन) के स्तर से किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार शासन स्तर से परिव्यय व बजट की व्यवस्था कराई जायेगी।
- विभिन्न लेखाशीर्षकों में बजट की कमी तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु बजट में वृद्धि आदि के प्रस्ताव सम्बन्धित निदेशकों व वित्त नियंत्रक के माध्यम से प्राप्त कर उन्हे आवश्यकतानुसार स्वीकृत कराने का कार्य वित्त नियंत्रक के सहयोग से किया जायेगा।
- बजट से संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों की स्थापना कार्य एवं नियंत्रण का कार्य।
- वार्षिक बजट व अनुपूरक बजट वित्त नियंत्रक द्वारा बनाया जायेगा तथा निदेशक (बजट एवं नियोजन), इसका अनुश्रवण करेंगे।
- समय–समय पर विभिन्न स्तरो से प्राप्त योजनाओं हेतु संबंधित कार्यक्रमों का अधिकारियों से समन्वय कर बजट प्राविधान परियोजनाओं हेतु योजना के अनुरूप उपलब्ध करायेंगे।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक महिला उपचार

➢ कार्य एवं दायित्व :

- विभिन्न श्रेणी महिला चिकित्सा अधिकारियों का स्थापना कार्य।
- प्रदेश के महिला चिकित्सालयें व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के उपचार हेतु उत्तरदायी होगी।
- प्रदेश को विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर महिला हेतु चिकित्सा उपचार सेवाओं का अनुश्रवण करेगी।
- महिला चिकित्सालयों में चिकित्सको की उपलब्धता हेतु प्रबन्धन, उपकरणों की क्रियाशीलता तथा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी। इन इकाईयो के विकास के लिए योजना, प्रस्ताव निदेशक (महिला), करेगी।
- प्रदेश में विभिन्न इकाईयों के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं का अनुश्रवण व मूल्यांकन करेंगी।
- महिला चिकित्सालयों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों से महिलाओं हेतु संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेंगी। प्रदेश की मातृ–मृत्यु दर व शिशु–मृत्यु दर को वांछित स्तर पर लाने हेतु चिकित्सा उपचार सेवाओं में गुणात्मक विकास सुनिश्चित करेंगी।
- महिला चिकित्सायों हेतु विभिन्न जिला व स्टेट सेक्टर की योजनाओं के सृजन–संकलन प्रस्तावों को संकिलत कर संबंधित अधिकारियों को भेजेंगी।
- महिला संवर्ग के विभिन्न चिकित्सकों के सेवा संबंधी कार्य सम्पादन के लिए उत्तरदायी होगी।

- महिला चिकित्सकों के द्वारा सम्पादित मेडिको लीगल कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- प्रदेश के विभिन्न महिला चिकित्सालयों में कार्यरत अपर निदेशक ग्रेड, महिला चिकित्सा अधिकारियों की नियंत्रक अधिकारी होंगी और चरित्र पंजिका में प्रतिवेदन का कार्य करेगी।
- अधीनस्थ इकाइयों में क्वालिटी एश्योरेन्स का कार्य।
- अधीनस्थ से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के प्रश्नों व नियमों से संबधित कार्य तथा मा0 न्यायालयें व न्यायाधिकरणों से संबंधित अपने अधीनस्थ के संबंध में कार्य।
- विभिन्न विधायी समितियों से संबंधित कार्य।
- विभिन्न आयोंगो से संबंधित कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक केन्द्रीय औषधि भण्डार

➢ कार्य एवं दायित्व :

- प्रदेश हेतु औषधियां, उपकरण, चिकित्सालयों को साज सज्जा आदि के लिए दर अनुबंधन का कार्य।
- मात्रा अनुबंधन का कार्य।
- निर्धारित वित्तीय सीमा तक डी0पी0ए0 (डायरेक्ट परचेज अथारिटी) निर्गत करना।
- परिधिगत अधिकारियों को आवंटित औषधि, साज–सज्जा, उपकरण के संबंध में क्रय का अनुश्रवण व मूल्यांकन।
- वस्तुओ के क्रय हेतु समय–समय पर बदलती हुई तकनीक के अनुरूप विशिष्टता निर्धारण कराने का कार्य।
- वर्षवार ई0डी0एल0 (इसेन्सियल ड्रग लिस्ट) आदि का निर्धारण व प्रकाशन, समय–समय पर तकनीकी मार्गदर्शन/निर्देश के अनुरूप संशेाधित कराने का कार्य।
- प्रदेश में विद्यमान विभिन्न क्रय समितियों के कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- सेन्ट्रल परचेज कमेटी के कार्यवृत्त को तैयार कराने हाई पावर कमेटी हेतु प्रस्ताव के प्रेषण हेतु प्रस्ताव महानिदेशक को प्रस्तुत करने का कार्य।
- उद्योग निदेशालय के निर्देशों के अनुरूप एवं विभिन्न नीति के अनुरूप निर्माताओ/आपूर्तिकर्ताओ के पंजीकरण का कार्य।
- निदेशक (भण्डार) व अन्य मुख्यालय भण्डार में कार्यरत अधिकारी भ्रमण करेगें तथा परिधिगत अधिकारियों के स्तर पर क्रय प्रक्रिया के अनुरूप क्रय किये जाने हेतु मूल्यांकन कर नियमानुसार प्रदेश में औषधियों एवं साज–सज्जा उपकरण की खरीदारी सुनिश्चित करेंगे।

- आपूर्ति से संबंधित विधानसभा, लोकसभा के प्रश्नोत्तर तथा अन्य समितियों हेतु उपरोक्त से संबंधित कार्य का सम्पादन।
- अधीनस्थ से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के प्रश्नों व नियमों से संबधित कार्य तथा मा0 न्यायालयों व न्यायाधिकरणों से संबंधित अपने अधीनस्थ के संबंध में कार्य।
- प्रदेश मे बेअर हाउस अन्य भण्डारों में उपलब्ध औषधियों के मूल्यांकन, औषधियों की संकलित रिपोर्ट, आवश्यकता से अधिक औषधियों के कालातीत होने की संभावना को देखते हुए आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित कर प्रयोग किये जाने के कार्यो का अनुश्रवण करेंगे व वांछित कार्यवाही सुनिचित करायेंगे।

निदेशक संक्रामक रोग

➢ कार्य एवं दायित्व :

- राष्ट्रीय वेक्टर बार्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम मलेरिया, इन्सेफ्लाइटिस, डेन्गू, फीवर, फाइलेरिया, कालाजार आदि से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- नेशनल सर्विलैस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज (एन0ए0सी0पी0सी0डी0) कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होंगे।
- जल जनित, वायु जनित तथा धरती जनित आदि रोगों के संबंध में अनुश्रवण मूल्यांकन करेंगे। वर्षवार विभिन्न रोगों के संबंध में कार्य योजना बनाकर मार्गदर्शन परिधिगत अधिकारियों को देगे तथा प्रदेश की कार्ययोजना बनायेंगे।
- इपिडेमिक एक्ट से संबंधित कार्य।
- सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु कराये जा रहे परीक्षण व कृत कार्यो के संबंध में रिपोर्ट का संकलन व मूल्यांकन तथा तदानुसार निर्देशन का कार्य।
- समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से फैलने वाले संचारी रोगों के संबंध में निरोधात्मक, उपचारात्मक स्वास्थ्य शिक्षा सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- वर्षवार बाढ़ दैवीय आपदा से निपटने हेतु कार्ययोजना बनायेंगे तथा धन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
- प्रदेश में सभी संक्रामक रोगों के संबंध में जिसमें समीक्षा, सूचना संकलन, अनुश्रवण व मूल्यांकन तथा संक्रामक रोगों हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
- प्राप्त निर्देशों तथा विभिन्न संचारी रोगेां की स्थिति को ध्यान रखते हुए वर्षवार प्रदेश हेतु कार्ययोजना बनायेंगे तथा परिधिगत अधिकारियों को तदानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्दिष्ट करेंगे।
- क्षेत्रवार विभिन्न रोगों का व्यापकता के आधार पर एरिया स्पेसेफिक प्रोजेक्ट तैयार करायेंगे तथा धनराशि प्राविधान कराकर संबंधित क्षेत्र में क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

- प्रदेश में एन0एस0पी0सी0डी0 प्रयोगशालाओं के नियंत्रक अधिकारी का कार्य।
- प्रदेश स्तर पर समन्वय समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करायेंगें।
- संक्रामक रोगों के फैलने, दैवीय आपदा व बाढ की स्थिति से निपटने हेतु संस्थानों को उपलब्ध करायेगें तथा मुख्यालय से विशेष दल जायेगें।
- अचानक रोगो के फैलने अथवा संचारी रोगों के संबंध में विशेष स्थिति ज्ञात करने हेतु देश के संचारी रोग से संबंधित संस्थाओं से संबंध स्थापित कर तकनीकी परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही करेगें।
- संचारी रोगों से संबंधित प्रयोगशालाओं के आधुनिकीरण व सुदृढीकरण का कार्य।
- संचारी रोग से संबंधित विभिन्न समितियों के सफल क्रियान्वयन कराने का कार्य।
- विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्न व नियमों से सम्बन्धित कार्य।
- विभिन्न विभागी समितियों व आयोगो से समबन्धित कार्य।

निदेशक चिकित्सा उपचार (नगरीय)

➢ कार्य एवं दायित्व :

- प्रदेश के नगरीय एवं चिकित्सा उपचार सेवाओं हेतु उत्तरदायी होंगे तथा सम्पूर्ण प्रदेश मे चिकित्सा उपचार सेवाओ हेतु समन्वय अधिकारी होगें।
- जिला पुरूष चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सा ईकाईयों के रख–रखाव एवं वितरण हेतु उत्तरदायी होंगे।
- जिला सेक्टर, स्टेट सेक्टर ऐरिया प्रोजेक्ट की योजना सृजन, प्रस्ताव संबंधित जानकारियों को प्रेषण के साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य करेगे।
- नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों मे कार्यरत तकनीकी स्टाफ उपचारिका संवर्ग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, मेडिकल अटेण्डेन्ट फिजियोथेरिपिस्ट, ई0सी0जी0 एवं अन्य नर्सिग स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ के अधिष्ठान का कार्य।
- मेडिकल बोर्ड, मेडिकल रिम्बर्समेन्ट व मेडिको लिगल कार्य से संबंन्धित कार्य।
- विभागो की स्थाई समिति, समितियो से संबंन्धित कार्य।
- नगरीय क्षेत्र के पुरूष जिला चिकित्सालयों व अन्य पुरूष चिकित्सालयों के उपकरण, साज–सज्जा, औषधियो की व्यवस्था व रख रखाव का कार्य।
- इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण इकाई के नियंत्रक अधिकारी होगें। यह ईकाई इनके अधीन कार्य करेगी तथा कृत–कार्यो की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- प्रदेश की ब्लड बैंकों से संबंधित कार्य।

- एड्स कार्यक्रम हेतु समन्वयक अधिकारी होगें।
- हयूमन आर्गन ट्रांसप्लान्टेशन एक्ट 1994 से संबंधित कार्य।
- बायोमेडिकल वेस्ट हैण्डलिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (रूल 1998) से संबंधित कार्य।
- परसन्स विद् डिसेबिलिटीज इक्वल आपरचुनिटी प्रोटेक्शन आदि राइट्य एण्ड फुल पार्टीसिपेशन एक्ट 1995 से संबंधित कार्य।
- चिकित्सकों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता, औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये उत्तदायी होगें।
- एटामिक एनर्जी एक्ट 1968 से सबंधित कार्य।
- प्रदेश में रोगियों व रोगों से संबंधित विभिन्न सूचना से संबंधित कार्य।
- प्राइवेट चिकित्सा उपचार सेवाओं के समन्वय व नियंत्रण का कार्य।
- अन्य राजकीय चिकित्सा इकाईयों, केन्द्रीय चिकित्सालय, रेलवे, एयरफोर्स, डिफेन्स, श्रम, इ0एस0आई0 नगर निगम आदि से संचालित ईकाईयों हेतु समन्वय का कार्य।
- अतिविशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश आगमन के समय मानको के अनुरूप चिकित्सा उपचार सेवाओं के उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगें।
- मेडिकल कॉलेज, निजी क्षेत्रों मे कार्यरत प्रमुख चिकित्सालयों से समन्वय का कार्य।
- दन्त उपचार सेवा संबंधी कार्य।
- नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों हेतु यूजर चार्जेज व तत्संबंधी समितियों के नियंत्रण का कार्य।
- एटामिक एनर्जी (रेगुलरटी बोर्ड) एक्ट 1963 से संबंधित कार्य।
- अधीनस्थ ईकाईयों मे क्वालिटी एश्योरेन्स का कार्य।
- विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्न उत्तर, विधायी समितियों एवं मा0 आयोगों, मा0 न्याालयों व न्याायधिकरणों से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ में कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक चिकित्सा उपचार (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)

➢ कार्य एवं दायित्व :

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से संचालित चिकित्सकीय उपचार सेवाओं हेतु उत्तरदायी होगें।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे कार्यरत तकनीकी स्टाफ, फार्मासिस्ट लैब टैक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीरशियन स्टाफ का अधिष्ठान का कार्य।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पादित होने वाले मेडिको लीगल कार्य।
- चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य।
- चिकित्सालयों में चिकित्सकों की स्थिति जिसमें महिला चिकित्सक भी सम्मिलित हैं, इसके मूल्यांकन का कार्य करेंगें, समन्वय स्थापित कर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगें।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित रोगियों के सूचना संकलन व रोग की स्थिति सम्बन्धी कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।
- मानक सूची के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल 1998 से सम्बन्धित कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नई व्यवस्थानुसार रक्त प्रबन्धन कराने का कार्य।
- सम्पूर्ण प्रदेश की यूजर चार्जेज व तत्संबंधी समिति से संबंधित कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पादित होने वाला दन्त सेवाओं का कार्य।
- निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा ईकाईयों से संबंधित समन्वय कार्य।
- प्रदेश मे झोलाछाप डाक्टरों से संबंधित कार्य।
- सामुद्रायिक स्वास्थ्य के निणर्य योजना से संबन्धित कार्य।
- एम्बूलेंस व रोगी संदर्भीकरण से संबंधित कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबन्धित विधान सभा, विधान परिषद तथा लोकसभा प्रश्नो के उत्तर तथा अन्य समितियेा से संबन्धित कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन्फेक्शन प्रिवेन्शन से संबन्धित कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा उपचार से सम्बन्धित शिकायतो का कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित योजना का सृजन, जिला सेक्टर से संबन्धित कार्य ।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धति की चिकित्सा इकाइयों से समन्वय का कार्य।
- फार्मेसी काउन्सिल से संबन्धित कार्य।
- विधान सभा विधान परिषद, लोगसभा के प्रश्न उत्तर,विधायी समितियो एवं मा0 आयोगो, मा0 न्यायालायो व न्यायाधिकरणो से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ के सम्बन्ध मे कार्य।
- अधीनस्थ इकाइयों मे क्वालिटी एश्योरेन्स का कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक चिकित्सा उपचार (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)

➢ कार्य एवं दायित्व :

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संचालित चिकित्सा उपचार सेवाओं हेतु उत्तरदायी होंगे।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे कार्यरत तकनीकी स्टाफ, फार्मास्टि लैब टैक्नीशियन स्टाफ का अधिष्ठान का कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पादित होने वाले मेडिको लीगल कार्य।
- चिकित्सा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य।
- चिकित्सालयों मे चिकित्सको की स्थिति से सम्बन्धित कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो से संबंधित रोगियों के सूचना संकलन व रेाग की स्थिति सम्बन्धी कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरणो की क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।
- औषधियेा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु बायों मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रुल 1998 का कार्य।
- यूजर चार्जेज तथा तत्संबंधी समितियों के कार्य।
- निजी क्षेत्र मे कार्यरत चिकित्सा इकाइयेां से संबंधित समन्वय कार्य।
- प्रदेश मे झोलाछाप डाक्टरेा से संबंधित कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य के निर्माण योजना से संबंधित कार्य।
- रोगी सन्दर्भीकरण से संबंधित कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित विधानसभा, विधान परिषद तथा लोक सभा प्रश्नो के उत्तर तथा अन्य समितियों से संबंधित कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन्फैक्शन प्रिवेन्शन से संबंधित कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा उपचार से संबंधित शिकायत का कार्य।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित योजना का सृजन, जिला सेक्टर की योजनाओं का संकलन तथा प्रस्ताव प्रेषण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य के केन्द्र के अन्तर्गत ।
- होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धति की चिकित्सा इकाइयो से समन्वय का कार्य।
- विधान सभा विधान परिषद, लोगसभा के प्रश्न उत्तर, विधायी समितियो एवं मा0 आयोगो, मा0न्यायालायो व न्यायाधिकरणो से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ के सम्बन्ध मे कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक स्वास्थ्य

➢ कार्य एवं दायित्व :

- ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी अधिकारी होगें तथा इससे संबन्धित कार्यो का सम्पादन करेगें।
- प्रदेश में समस्त स्वास्थ्य सेवा कार्यो के कियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगें।
- प्रदेश मे सम्पादित विभिन्न स्वास्थ्य मेलों जिसमें प्रदेश के नियमित पंजीकृत तथा अपंजीकृत मेले भी सम्मिलित है, का कार्य देखेगें।
- प्रदेश की औषधि नियंत्रक, राजकीय जनविश्लनेषक, ड्रग लेबोरेटरीज, फूड लेबोरेटरीज से संबन्धित कार्य।
- मानसिक स्वास्थय कार्यो हेतु प्रदेश के नोडल अधिकारी होगे तथा मेन्टल हैल्थ एक्ट 1987 से सम्बन्धित कार्य करेगें।
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 से संबंधित कार्य।
- सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदान तथा वितरण का विनियम अधिनियम 2001 से संबंधित कार्य।
- नेशनल प्रोग्राम फज़र आयोडीन डिफीसिएन्सी डिस आर्डर कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यक्रम करेगें।
- स्टेट हैल्थ इन्स्टीट्यूट तथा हेल्थ एजूकेशन ब्यूरो से सम्बन्धित कार्य।
- सिविल अभियंत्रण इकाई इनके नियंत्रणाधीन होगी।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण कार्यो के लिये उत्तरदायी होंगे।
- नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण तथा स्थापना का कार्य।
- स्कूल हैल्थ प्रोग्राम का कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्र हेतु बायोमेडिकल वेस्ट हैण्डलिंग एण्ड मैनेजमेन्ट रूल 1998 के कियान्वयन का कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए समन्वय अधिकारी होगें।
- ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न रोगियों, रोगी की स्थिति के सम्बन्ध में प्रगति प्राप्त कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य।
- वाइटल स्टेटिक्स व जन्म से सम्बन्धित कार्य व तद् सम्बन्धी अधिष्ठान के नियंत्रक अधिकारी होगे।
- अधिनस्थ इकाइयों में क्वालिटी एश्योरेन्स का कार्य।
- विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्न–उत्तर, विधायी समितियों एवं मा0 आयोगों, मा0 न्यायालयों व न्यायाधिकरणों से सम्बधित अपने अधिष्ठान के संबंध में कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक पैरामेडिकल

➢ कार्य एवं दायित्व :

- फार्मासिस्टों के स्थापना का कार्य।
- चीफ फार्मासिस्ट व संवर्ग के प्रोन्नत पदों के स्थापना का कार्य।
- एक्स–रे टेक्निशियन का स्थापना सम्बन्धी कार्य।
- लैब टेक्निशियन तथा इस कैडर से सम्बधित पदों का स्थापना का कार्य।
- डार्करुम असिस्टेन्ट की स्थापना का कार्य।
- ई0सी0जी0 टेक्निशियन के स्थापना का कार्य।
- फिजियोथेरेपिस्ट आदि अन्य पैरामेडिकल के स्थापना का कार्य।
- प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में पैरामेडिकल प्रशिक्षण हेतु नीति व आवश्यकता निर्धारण का कार्य।
- पूरे प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति का मून्यांकन का कार्य।
- प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में पैरामेडिकल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग से पैरामेडिकल विकास हेतु समन्वय का कार्य।
- प्रदेश में विभिन्न संचालित पैरामेडिकल प्रशिक्षण संशथाओं के निरीक्षण का कार्य।
- प्रशिक्षण इकाइयों के गुणात्मक विकास हेतु निरीक्षण कर परामर्श देगें।
- पैरामेडिकल के इन सर्विस स्किल डेवलपमेप्ट हेतु कार्य योजना बनाकर प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव बनायेगें।
- निजी क्षेत्र में नकली/फर्जी पैरामेडिकल से सम्बन्धित कार्य।
- दायित्वों व अधीनस्थ स्टाफ से सम्बन्धित विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा व अन्य समितियों व आयोग से सम्बन्धित कार्य।
- अधिनस्थ इकाइयों में क्वालिटी एश्योरेन्स का कार्य।
- विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्न–उत्तर, विधायी समितियों एवं मा0 आयोगों, मा0 न्यायालयों व न्यायाधिकरणों से सम्बधित अपने अधिष्ठान के संबंध में कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक प्रशिक्षण

➢ कार्य एवं दायित्व :

- सेवा कालीन चिकित्सकीय उच्च शिक्षा का कार्य।
- सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रदेश–देश में होने वाले मेडिकल व पैरामेडिकल प्रशिक्षण का कार्य।
- विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में संशाधनों की स्थिति का मूल्यांकन व सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही।
- प्रशिक्षण संस्थाओं को विभिन्न निर्धारित मानकों के अनुरुप व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कार्य।
- चिकित्सा शिक्षा से प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समन्वय का कार्य।
- जिला ट्रेनिंग सेन्टर, रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर, ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रदेश के समस्त ट्रेनिंग सेन्टर से सम्बन्धित समन्वय का कार्य।
- विभिन्न पदों हेतु निजी क्षेत्र में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित कार्य। यह भी सुनिश्चित किया जाना कि प्रशिक्षण केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित मानकों/विभिन्न काउन्सिल के निर्धारित मानकों के अनुरुप संचालित रहे।
- राजकीय क्षेत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित संचालित प्रशिक्षण संस्थानों के संसाधनों को मानक के अनुरुप मूल्यांकन तथा प्रस्ताव योजना बनाकर भेजने सम्बन्धी कार्य।
- चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग तथा विभिन्न परियोजनाएँ परिवार कल्याण विभाग तथा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यों की प्रगति अनुरुप मूल्यांकन व समन्वय का कार्य।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में मानव संसाधनों की स्थिति का मूल्यांकन तथा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य।
- दायित्वों व अधीनस्थ स्टाफ से सम्बन्धित विधान सभा, विधान परिषद, लोक सभा, राज्य सभा व अन्य समितियों व आयोग से सम्बन्धित कार्य।
- स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बन्धित कार्य।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक परिवार कल्याण

➢ कार्य एवं दायित्व :

- परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबन्धित कार्य हेतु उत्तरदायी होगें।
- पूरे प्रदेश में परिवार कल्याण सेवाओं एवं जनसंख्या नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्य योजनाओं के सृजन क्रियान्वयन निर्धारित नीति के अनुसार अनुपालन कराने का कार्य करेंगे। इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर दिशा निर्देश निर्गत करायेगें।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं जनसंख्या नियंन्त्रण कार्यक्रम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा, बन्धाकरण, कापर टी निवेशन, ओरलपिल्स आदि विधियों से सम्बन्धित संशाधनों की स्थिति का मूल्यांकन कर निरंतर आपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगें।
- प्रदेश में स्थिति विभिन्न वेयर हाउस/भण्डार में उपलब्ध परिवार कल्याण से सम्बन्धित सामग्री की व्यवस्था के प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य अपर निदेशक के माध्यम से पूरा करायेगें। समय–समय पर निर्गत लाजिस्टक मैनेजमेन्ट की गाइड लाइन के अनुसार कार्य सम्पादन करायेगें।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में मूल्यांकन वित्त नियंत्रक के माध्यम से करेगें।
- विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर अर्जित प्रयोजन निधी जिसमें मल्टी परपज फण्ड भी सम्मिलित है, का अनुश्रवण मूल्यांकन कर उपयोग सुनिश्चित कराने का कार्य वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर करायेगें।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं प्रस्ताव संकलित कराकर प्रस्तुत करेंगे।
- समय–समय पर स्थापित जनसंख्या नियंत्रण व स्थिरीकरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रोजेक्ट्स जैसे नेशनल पॉपुलेशन मिशन तथा तत्सम्बन्धित अन्य समितियों से सम्बन्धित कार्य।
- संचालित पोस्टपार्टम सेन्टर, अर्बन फेमिली प्लानिंग सेन्टर से सम्बन्धित कार्य।
- निजी क्षेत्र में संचालित विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में सम्पादित होने वाले परिवार कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य।
- नान गवर्रमेन्ट आर्गनाइजेशन, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य इकाईयों, रेलवे, एयरफोर्स, डिफेन्स, इम्पलाई इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत संचालित स्वास्थ्य इकाईयों, नगर निगम, डिफेन्स, श्रम विभाग द्वारा संचालित अन्य इकाईयों में सम्पादित परिवार कल्याण कार्यो हेतु समन्वय का कार्य।
- प्रिनेटल डाईगनोटिस तकनीक एक्ट 1994 से सम्बन्धित कार्य।
- प्रशासनिक अधिकारी, अन्वेषक कम संगणक, संख्या सहायक, चलचित्र चालक कम फोटोग्राफर, एच0ई0आई0ओ0, डिप्टी एच0ई0आई0ओ0 से सम्बन्धित अधिष्ठान कार्य।
- बहुधन्धी पुरूष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुधन्धी पुरूष कार्यकर्ता तथा जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी से सम्बन्धित कार्य।

- रूरल हेल्थ मिशन में परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यक्रम।
- परिवार कल्याण से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यो का अनुश्रवण मूल्यांकन।
- परिवार कल्याण अनुदान से सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, मुख्य केन्द्र के अनुरक्षण व सिविल वर्क से सम्बन्धित कार्य।
- परिवार कल्याण योजना व आर0सी0एच0 योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वाहनों के नियंत्रण का कार्य।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन करायेंगे तथा सूचांकों की प्राप्ति कराने हेतु उत्तरदायी होगें।
- एडलोसेन्ट एजूकेशन से सम्बन्धित कार्य।
- आई0ई0सी0 ब्यूरो के निदेशक से सम्बन्धित समन्वयन कार्य।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्य।
- विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्य सभा के प्रश्न–उत्तर, विधायी–समितियों एवं मा0 आयोगों, मा0 नयायालयों व न्यायाधिकरणों से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ के सम्बन्ध में कार्य।
- उपरोक्त कार्यो हेतु निदेशक, महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरादीय होगें तथा नियंत्रणाधीन कार्य करेंगें।
- माननीय विभिन्न न्यायालयों, लोक सेवा अधिकरण व विभिन्न आयोगों से सम्बन्धित नियंत्रणाधीन स्टाफ से सम्बन्धित कार्य।
- ए0डी0ए0 के नियंत्रक अधिकारी होगें।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निदेशक मातृत्व एवं शिशु कल्याण

➢ कार्य एवं दायित्वः–

- रूरल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यो हेतु उत्तरदायी होगें।
- री–प्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं और बच्चो से सम्बन्धित कार्यक्रम–सुरक्षित मातृत्व बाल संजीवनी, प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव टैक्ट इन्फेक्शन इन्क्लुडिंग एड्स एण्ड एस0टी0डी0 कार्यो से सम्बन्धित कार्य देखेंगे।
- जननी सुरक्षा योजना (मातृत्व लाभ योजना) एवं एतद्सम्बन्धी योजनाओं से सम्बन्धित कार्य।
- माताओं एवं बच्चों के प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम से संबंधित कार्य।
- गर्भवती माताओं की देखभाल से संबंधित कार्य।
- हैल्थ पोस्ट से संबंधित कार्य।

- जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, दाई, ए0एन0एम0 (बहुधन्धी महिला कार्यकत्री), बहुधन्धी पुरूष कार्यकर्ता तथा बहुधन्धी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित अधिष्ठान कार्य।
- उपकेन्दों के रखरखाव, उपकेन्दों के निर्माण हेतु भी प्रस्ताव बनाकर धन प्राविधान करायेंगे।
- शीत–श्रृखला से संबंधित कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे।
- शीत–श्रृखला से संबंधित कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- पंचायत स्तर पर गठित स्वास्थ्य समिति से संबंधित कार्य।
- रूरल हेल्थ मिशन से संबंधित विभिन्न समितियों हेतु समन्वय का कार्य।
- मातृशिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य।
- नई ए0एन0एम0 ट्रेनिंग व नियुक्ति से संबंधित कार्य।
- मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों के अधिष्ठान का कार्य।
- मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रम से संबंधित मानव संसाधन हेतु ट्रेनिंग की योजना का कार्य।
- मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम हेतु बजट प्राविधान कराने हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर वित्त नियन्त्रक को प्रेषण का कार्य।
- विभिन्न मण्डलीय स्तर पर स्थापित वेयर हाउस, मुख्यालय तथा जिला स्तर पर विभिन्न भण्डारों में उपलब्ध मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम से संबंधित संसाधन, औषधि तथा सामग्री के मूल्यांकन व समय से संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य।
- उप केन्दों हेतु आवश्कता व मानक के अनुसार संसाधनों का मूल्यांकन कर आपूर्ति हेतु प्रस्ताव व बजट प्राविधान कराने का कार्य।
- उपरोक्त समस्त कार्यो के लिए मातृ शिशु कल्याण के निदेशक, महानिदेशक, के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा उनके नियन्त्रणाधीन कार्य करेंगे।
- महानिदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।
- उक्त कार्य एवं दायित्व के निर्वहन की समुचित व्यवस्था महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर से की जायेगी।

महानिदेशालय के अन्य प्रकोष्ठ

- स्वास्थ्य विभाग में सिविल अभियंत्रण इकाई का गठन चिकित्सालय भवनों के रख–रखाव सम्बन्धी अनुरक्षण कार्यो एवं विभागीय भवनों से संबंधित अन्य कार्यो को व्यवहरित किये जाने हेतु किया गया है साथ ही साथ प्रा0स्वा0 केन्द्रों/सामु0स्व0केन्द्रों एवं संयुक्त चिकित्सालयों में निर्माण इकाईयों के माध्यम से, जो नये कार्य कराये जा रहे है, के अनुश्रवण एवं सम्पादन का कार्य भी कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग **1119 प्राथ0स्वा0 केन्द्र, 209 सामु0स्वा0 केन्द्र, 42 संयुक्त चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालय** एवं उपकेन्द्र के रख–रखाव संबंधी कार्य इकाई द्वारा व्यवहरित किये जा रहे है।

- विभाग में विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ का गठन चिकित्सालय उपकरणों के रख–रखाव संबंधी अनुरक्षण कार्यो एवं विभागीय भवनों से संबंधित विद्युत कार्यो को व्यवहृत किये जाने हेतु किया गया है। वर्तमान में इस प्रकोष्ठ में उपरोक्त कार्यो के साथ–साथ उपकरणों के क्रय/अनुरक्षण कार्य में तकनीकी सहयोग जैसे–उपकरणों की विशिष्टयों का निर्धारण, निविदाओं का तकीनीकी परीक्षण एवं उपकरणों का परीक्षण तथा विभागीय वाहन जिसमें लगभग 4000 वाहन हैं, के रख–रखाव संबंधी कार्य व्यवहृत किये जा रहे हैं।

- महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), के अधीन तथा वित्त नियत्रंक के नियत्रंण बजट अनुभाग–5, 6 एवं 17 तथा पूर्व सम्प्रेक्षा के कार्यो का निस्तारण हेतु अनुभाग–7 सेवा निवृत्ति अधिकारी/कर्मचारियो को जी0पी0एफ0 के 90 प्रतिशत कार्यो का निस्तारण हेतु अनुभाग–16 तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यो के निष्पादित करने हेतु अनुभाग–25 क्रियाशील है।

- प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन औषधि नियंत्रण संगठन गठित है, जिसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है :–

  1. नकली, निम्नस्तर, अपमिश्रित एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण/वितरण/विक्रय पर नियंत्रण का नियमित कार्य।
  2. प्रदेश में स्थित राजकीय एवं निजी क्षेत्र के रक्तकोषों के अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का कार्य।
  3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम–1940 एवं इसके अन्तर्गत नियमावली–1945 का प्रवर्तन जिसमें एलोपैथिक औषधियों तथा कास्मेटिक्स निर्माणशालाओं के अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति नवीनकरण का कार्य, औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति नवीनकरण का कार्य।
  4. छापे की कार्यवाही एवं प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही आदि।

- खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू **खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम–1954 व नियमावली–1955 तथा उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली–1976** के निर्देशानुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर समस्त खाद्य निरीक्षक, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का कार्य करते है। यह खाद्य निरीक्षक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकायों के तहत नगर पालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं में तैनात होते है।

खाद्य निरीक्षकों द्वारा संग्रहित नमूनों की जांच के लिए स्थापित प्रयोगशालायें :–

1. राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ
2. सम्भागीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, मेरठ
3. सम्भागीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा
4. सम्भागीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, वाराणसी
5. सम्भागीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, गोरखपुर

- विभाग में विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ का गठन चिकित्सालय उपकरणों के रख–रखाव सम्बन्धी अनुरक्षण कार्यों एवं विभागीय भवनों से सम्बन्धित विद्युत कार्यों को व्यवहारित किये जाने हेतु किया गया है। वर्तमान में इस प्रकोष्ठ द्वारा उपरोक्त कार्यों के साथ–साथ उपकरणों के प्रोक्योरमेन्ट कार्य में तकनीकी सहयोग जैसे–उपकरणों की विशिष्टियों का निर्धारण, टेक्निकल बिड का तकनीकी परीक्षण एवं उपकरणों का प्रदर्शन तथा विभागीय वाहन जिसमें लगभग 4000 वाहनें हैं के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य व्यवहारित किये जा रहे हैं।
- कार्यालय महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), के अर्न्तगत सम्प्रेक्षा अनुभाग–15 से आन्तरिक सम्प्रेक्षा का कार्य सम्पन्न होता है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों के लेखा अभिलेखों की सम्प्रेक्षा करके उनके कार्यों/त्रुटियों को आडिट आपत्ति के माध्यम से संज्ञान में लाकर उसे दूर करने की कार्यवाही करायी जाती है तथा महालेखाकार के आडिट प्रतिवेदन पर विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों से अनुपालन आख्यायें प्रेषित करायी जाती है।

परिवार कल्याण

प्रदेश में नगरीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं का संचालन राज्य सरकार व स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है–

1. जिला प्रसवोत्तर केन्द्र
2. उपजिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र
3. नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र/हेल्थ पोस्ट
4. नगरीय परिवार कल्याण ब्यूरो
5. बंध्याकरण शैय्यायें

जिला प्रसवोत्तर केन्द्र :

प्रदेश में 59 जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र कार्यरत हैं, जिसमें **54 केन्द्र** राज्य सरकार द्वारा तथा **5 केन्द्र** गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव तथा प्रसव उपरान्त सेवाएं दी जा रही है। बच्चों के टीकाकरण एवं बच्चों में जटिलताओं का निदान भी इन केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

उप जिला प्रसवोत्तर केन्द्र :

प्रदेश में **131 उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर** केन्द्र क्रियाशील हैं, जिसमें से **130 राज्य सरकार** द्वारा तथा **1** केन्द्र गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को सेवाएं प्रदान की जा रही है।

नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र :

प्रदेश में 83 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र क्रियाशील है, जिसमें **61** राज्य सरकार द्वारा **22** गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से जनसंख्या, शिक्षा, समयान्तर विधियों का प्रचार एवं उपलब्ध कराया जाना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं, उपलब्ध कराया जाना, बच्चों का टीकाकरण एवं छोटे रोगों को उपचार आदि प्रदान किया जा रहा है।

हेल्थ पोस्ट :

प्रदेश में 136 हेल्थ पोस्ट क्रियाशील हैं, जिसमें से 134 राज्य सरकार द्वारा 2 हेल्थ पोस्ट गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन हेल्थ पोस्टों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में महिलाओं एवं बच्चों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं इन केन्द्रों के माध्यम से परिवार नियोजन विधियों का प्रचार–प्रसार एवं उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में **एन0आर0एच0एम0** द्वारा वित्त पोषित **112 हेल्थ पोस्ट** कार्यरत हैं।

नगरीय परिवार कल्याण ब्यूरो :

प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 5 नगरीय परिवार कल्याण ब्यूरो क्रियाशील हैं, जिसमें 2 राज्य सरकार द्वारा एवं 3 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम की ग्राहयता को बढ़ाये जाने हेतु सेवाएं प्रदान की जा रही है।

बंध्याकरण शैय्याएं :

बंध्याकरण शैय्याएं योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत 4 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 67 बंध्याकरण शैय्याओं का संचालन किया जा रहा है। बंध्याकरण शैय्याओं पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

यू0आई0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटेनस से बचाव हेतु एक माह के अन्तराल पर दो टीके तथा एक वर्ष तक के बच्चों को बी0सी0जी0, डी0पी0टी0, पोलियो तथा खसरे के टीके तथा डेढ़ वर्ष और पॉच वर्ष की आयु पर बूस्टर टीके (तथा साथ में विटामिन ए की छः–छः माह के अन्तराल पर कुल 9 खुराकें) निम्न समय सारिणी के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं–

गर्भवती महिला के लिए

गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में	–	टी0टी0–I या बूस्टर (इन्जेक्शन) (गर्भ का पता चलते ही)
टी0टी0प्रथम टीके के एक माह बाद	–	टी0टी0–II (इन्जेक्शन)

शिशु के लिए

जन्म पर (संस्थागत प्रसव में)	–	बी0सी0जी0, जीरो डोज पोलियो

डेढ़ माह पर –बी0सी0जी0 (यदि पहले न दिया गया हो)

		डी0पी0टी0 (इन्जेक्शन) व पोलियो की प्रथम खुराक
ढाई माह व साढ़े तीन माह पर	–	डी0पी0टी0 (इन्जेक्शन) व पोलियो की क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय खुराकें
9 माह पर	–	खसरा (इन्जेक्शन), विटामिन 'ए' का घोल प्रथम खुराक (1 एम0एल0 अर्थात् एक लाख यूनिट)
डेढ़ वर्ष पर	–	डी0पी0टी0 बूस्टर (इन्जेक्शन), पोलियो बूस्टर खुराक, विटामिन 'ए' घोल द्वितीय खुराक (2 एम0एल0 अर्थात दो लाख यूनिट)

2 वर्ष से 5 वर्ष तक	–	विटामिन 'ए' घोल की छः–छः माह के अन्तराल से 7 खुराकें (प्रत्येक खुराक 2 एम0एल0 अर्थात् दो लाख यूनिट)
5 वर्ष	–	डी0टी0 (इन्जेक्शन)
10 एवं 16 वर्ष	–	टी0टी0 (इन्जेक्शन)

उक्त सभी टीके जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप–केन्द्रों पर प्रत्येक बुधवार व शनिवार को निःशुल्क लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक गॉव/शहरी क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री (ए0एन0एम0) द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दूरस्थ सत्र आयोजित कर यह सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन के अन्तर्गत
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु नई रणनीति–

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत तथा आर0सी0एच0–2 के पार्ट–सी के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशानिर्देशानुसार सभी जनपदों को निम्नलिखित कार्यवाहियों की क्रियान्वयन तथा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये हैः–

- लाभार्थियों को टीके लगाने के लिए केवल स्वयं निष्प्रयोज्य हो जाने वाली सिरिन्ज (आटो डिसेबल्ड) का प्रयोग किया जा रहा है।
- टीकाकरण सत्र स्थल पर समय से वैक्सीन पहुंचाने के लिए, उत्तरदायी व्यक्ति को रू0 50.00 प्रति टीकाकरण स्थल की दर से भुगतान हेतु धनराशि की उपलब्ध कराई गई है।
- ग्रामीण एवं नगरीय मलिन/पिछड़ी बस्तियों में टीकाकरण सत्रों में महिलाओं एवं बच्चों को लाने के लिए मोबिलाइजर को रू0 150.00 प्रति सत्र की दर से धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- टीकाकरण कर्मी की अनुपलब्धता की स्थिति में टीकाकरण सत्रों के सफल क्रियान्वयन हेतु रू0 300.00 प्रति टीकाकरण कर्मी प्रति सत्र की दर से टीकाकरण कर्मी रखने की व्यवस्था की गई है।
- जनपद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की सत्र–वार रिपोर्ट के संकलन, रिम्स साफ्टवेयर में आंकड़े भरने एवं अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के अधीन संविदा के आधार पर रू0 7000.00 प्रति माह की दर से एक कम्प्यूटर सहायक रखने की व्यवस्था की गई है।
- जनपद स्तर पर टीकाकरण सत्रों के निरीक्षण, कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद के जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को प्रति माह रू0 4000.00 की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
- कोल्ड चेन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपेयर एवं पी0ओ0एल0 हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन–

- राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ''नियमित टीकाकरण टास्क फोर्स'' का गठन किया जा चुका है, जिसमें परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एवं विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाओं (जैसे –यूनिसेफ, एन0पी0एस0पी0/डब्लू0एच0ओ0, केयर, रोटरी, इम्यूनाइजेशन बेसिक) के प्रतिनिधि सदस्य नामित हैं।
- महानिदेशालय स्तर पर महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 की अध्यक्षता में ''कोर ग्रुप'' गठित है, जिसमें महानिदेशालय के अधिकारियों के अतिरिक्त सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य नामित हैं।

माइक्रोप्लॉन–

नियमित टीकाकरण के सफल कियान्वयन हेतु जनपदों में माइक्रोप्लान बनाये गये हैं। प्रदेश के चयनित 11 जनपदों के शहरी क्षेत्र एवं मलिन बस्तियों विशेष माइक्रोप्लॉन बनाया जा चुका है तथा 16 जनपदों के डिफीकल्ट–टू–रीच एरिया हेतु विशेष माइक्रोप्लॉन बनाया जा रहा है।

नियमित टीकाकरण सत्रों की मॉनीटरिंग–

नियमित टीकाकरण सत्रों के आयोजन, मॉनिटरिंग एवं वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं। जो निम्नानुसार हैं–

- नियोजित एवं आयोजित सत्रों की सूचना प्रत्येक सत्रवार महानिदेशालय में प्राप्त कराया जाए।
- जनपद स्तरीय भण्डारण केन्द्र पर वैक्सीन तथा लॉजिस्टिक की पाक्षिक सूचना महानिदेशालय में प्राप्त करायी जाए।
- गत माह के दौरान टीकाकरण सत्रों की ब्लॉकवार मॉनिटरिंग की प्रत्येक माह की सूचना महानिदेशालय में प्राप्त करायी जाए।
- सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट को मुख्यालय स्तर पर संकलित कर समीक्षा के उपरान्त सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

अन्य विभागों की सहभागिता–

टीकाकरण सत्रों के सफल संचालन हेतु विभिन्न सहयोगी विभागों/संस्थाओं (यथा– आई0सी0डी0एस0 यूनिसेफ, डब्लू0एच0ओ0) का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

प्रशिक्षण–

नियमित टीकाकरण सत्रों के गुणवत्तापरक संचालन हेतु हेल्थ अधिकारियों/ वर्कर/ए0एन0एम0/ एल0एच0वी0 को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

विशेष टीकाकरण सप्ताहों का आयोजन–

प्रदेश में टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाने हेतु नवम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य 4 विशेष टीकाकरण सप्ताहों का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान प्रदेश में समस्त गर्भवती माताओं को टी0टी0 के दो टीके तथा 0–1 वर्ष के बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों के विरूद्ध बीमारियों के टीकों से आच्छादित किया गया।